भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 158
(जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947(शक) को दिया जाना है)

जीएसटीएटी की स्थापना

158. श्री मनीश तिवारी**:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए अधिसूचित प्रमुख और राज्य न्यायपीठों सहित माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) न्यायपीठों की कुल संख्या कितनी है और उनके प्रस्तावित स्थल क्या हैं;
(ख) देश में आज की तिथि के अनुसार, मुख्य और राज्य न्यायपीठों सहित पूरी तरह से कार्यशील जीएसटीएटी न्यायपीठों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;
(ग) जीएसटीएटी न्यायपीठों की स्थापना और संचालन के लिए अब तक आवंटित बजट, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के वर्ष 2017 में प्रवृत्त होने के बावजूद जीएसटीएटी न्यायपीठों को कार्यशील बनाने में विलंब के क्या कारण हैं; और
(ङ) जीएसटी के अंतर्गत अपीलीय मंच की अनुपलब्धता के कारण लंबित जीएसटी विवादों को निपटाने के लिए अपनाए जा रहे अंतरिम उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) कुल 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठें और नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ स्थित है। जिन्हें दिनांक 26 नवंबर, 2024 को का.आ. 5063(अ) द्वारा अधिसूचित (समय-समय पर संशोधित किया गया है)।

(ख) कोई नहीं।

(ग) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के लिए बजट आबंटन 210,04,70,000/- रुपये है। अब तक उपयोग की गई धनराशि 3,05,58,376/- रुपये है।

(घ) जीएसटीएटी पीठों के प्रवर्तन में देरी निम्नलिखित कारणों से हो रही है:

1. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 और 110 के मूल प्रावधानों को रेवेन्यू बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [डब्ल्यूपी संख्या 21147/2018] में चुनौती दी गई थी; और दिनांक 20.09.2019 के आदेश में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को रद्द कर दिया।
2. इसके बाद, सरकार ने मौजूदा न्यायाधिकरणों को युक्तिसंगत बनाने और सेवा की शर्तों जैसे कार्यकाल, सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन और भत्ते, नियुक्ति की पद्धति आदि में एकरूपता लाने के लिए लगभग 30 कानूनों में संशोधन किया, जिन्हें भी उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनौती दी गई और खारिज कर दिया गया।

3. इस आधार पर न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2020 जारी किए गए, जिन्हें फिर से उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और न्यायालय ने कुछ अन्य परिवर्तनों को शामिल करने का निर्देश दिया, जिसके बाद न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 लागू किया गया।
4. इसके बाद, एक मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन किया गया। जीओएम की सिफ़ारिश के आधार पर, जीएसटी परिषद ने 18 फ़रवरी, 2023 को अपनी 49वीं बैठक में माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन की सिफ़ारिश की। तदनुसार, वित्त अधिनियम 2023 द्वारा सीजीटी अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 109 और 110 में संशोधन किया गया।
5. इसके अलावा, उक्त धाराओं को न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम के साथ संरेखित करने के लिए 28 दिसंबर, 2023 को सीजीएसटी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2023 के तहत कुछ अन्य संशोधन किए गए।
6. इसके बाद, जीएसटीएटी के प्रचालन के लिए सदस्यों, कर्मचारियों और अन्य आवश्यकताओं की नियुक्ति की गई।

(ङ) जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 के माध्यम से सीजीएसटी अधिनियम में एक नई उप-धारा 16 (5) शामिल की गई है, जो 1 जुलाई, 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (4) के तहत निर्धारित समय सीमा को ढील देने के लिए है ताकि 30 नवंबर, 2021 तक दायर किसी भी जीएसटीआर-3बी रिटर्न के माध्यम से दावा किए गए वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को पात्र बनाया जा सके।

करदाताओं के लिए नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी अवरोध को आसान बनाने के लिए जीएसटी के तहत अपील दायर करने के लिए भुगतान की जाने वाली पूर्व-जमा राशि को कम करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 और धारा 112 में संशोधन। अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करने की अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 25 करोड़ रुपये एसजीएसटी से घटाकर 20 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 20 करोड़ रुपये एसजीएसटी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा राशि को 20% अर्थात सीजीएसटी के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपये से घटाकर 10% अर्थात सीजीएसटी के लिए अधिकतम 20 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए अधिकतम 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सीजीएसटी अधिनियम में धारा 128ए को शामिल करके एक माफी योजना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत की गई मांगों से संबंधित ब्याज या जुर्माना या दोनों में छूट प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि करदाता 31.03.2025 तक नोटिस में मांगे गए कर की पूरी राशि का भुगतान कर दे।

****